IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 433 OF 2023

IN THE MATTER OF :

HARPAL SINGH ....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh ...... Respondent

INDEX

S.No.	PARTICULARS	Page No.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICER, MUZAFFARNAGAR IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 22.11.2024 (UPLOADED ON 02.12.2024) IN O.A. NO. 433/2023 – HARPAL SINGH Vs STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.	

THROUGH

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP92889293678901W

e-Stamp

RAJESH KUMAR TYAGI
COLLECTORATE COMPOUND MUZAFFARNAGAR
LIC NO. 15
CC CODE UP14554504

Certificate No.	:	IN-UP92889293678901W
Certificate Issued Date	:	07-Dec-2024 12:05 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14554504/ MUZAFFARNAGAR SADAR/ UP-MJF
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1455450482692522756205W
Purchased by	:	DHARMENDRA KUMAR SO GOPICHAND MUZAFFARNAGAR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DHARMENDRA KUMAR SO GOPICHAND MUZAFFARNAGAR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	DHARMENDRA KUMAR SO GOPICHAND MUZAFFARNAGAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY
Rakam Pal Singh
NOTARY
Muzaffarnagar
Regd. No. 16936
GOVT. OF INDIA

Please write or type below this line

NOTARIAL NOTARIAL

RAKAM PAL SINGH
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

07 DEC 2024

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 433/2023

IN THE MATTER OF :

NOTARY

HARPAL SINGH Vs STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

NDOH – 09.12.2024

NOTARY

RESPONSE ON BEHALF OF THE DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICER, MUZAFFARNAGAR, 251001 UTTAR PRADESH, INDIA (RESPONDENT NO. 9) IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 22.11.2024 (UPLOADED ON 02.12.2024) PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI IN ORIGINAL APPLICATION NO. 433 OF 2023 IN THE MATTER OF HARPAL SINGH Vs STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

NOTARY

I, Dharmendra Kumar, aged about 36 years S/o Shri Gopichand, presently posted as District Panchayat Raj Officer,

NOTARY

NOTARY
Rakam Pal Singh
NOTARY
Muzaffarnagar
GOVT. OF INDIA

RAKAM PAL SINGH
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

07 DEC 2024

Muzaffarnagar do hereby solemnly affirm and state on oath as under :

1. That the deponent is working on the above mentioned post since July 2024 and being authorized officer in the captioned matter and well conversant with the facts and circumstances of the 67 and as such I am well conversant to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 22.11.2024 (Uploaded on 02.12.2024) in Original Application No. 433 of 2023 in the matter of Harpal Singh Vs State of Uttar Pradesh & Ors. was pleased to pass the following orders :-

"17. Respondent 4 thus has said that there is a balancing culvert constructed by Railways in accordance with requirement for protection of railway track and it was constructed prior to 1940. Purpose was for balancing water but subsequently it appeared that there is an unauthorized connection of drainage system by Panchayatraj Authorities without taking any statutory consent from Railway Authorities under Section 16 of Railways Act, 1989 read with Clause 1033 of Indian Railway Engineering Code. There was mushrooming growth of residential settlements in and around culvert, egress of where drainage

NOTARY Rakam Pal Singh NOTARY Muzaffarnagar Regd. No. 16936 Expiry 11.02.2025 GOVT. OF INDIA

RAKAM PAL SINGH NOTARY MUZAFFARNAGAR

0 7 DEC 2024

was unauthorisedly made by State Authorities to pass through Railway culvert, and subsequently one RCC hume pipe was connected for taking exit of drainage water coming through culvert in PWD land and that PWD land abuts agricultural field of farmers including applicant Harpal Singh. Balancing culvert was constructed by Railway prior to 1940 to balance runoff rainwater for avoiding any damage to track and its embankment and never meant for passing through sewage or drain but concerned Panchayat Raj Authorities have illegally allowed drainage to pass from abadi developed in nearby area and in subsequent period.

18. From above stand taken by Railways, it is clear that entire responsibility for management of sewerage is that of District Panchayat Raj Authorities and they have intentionally tried to avoid their responsibility by not placing correct facts before Tribunal.

19. In these facts and circumstances, we find no option but to direct District Panchayat Raj Officer to explain as to why appropriate action may not be taken against it for causing water pollution in violation of Section 24 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and also by not imposing Environmental Compensation by applying 'Polluters Pays'

NOTARY
NOTARY
NOTARY
NOTARY
NOTARY GOVT. OF INDIA
RAKAM PAL SINGH
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

07 DEC 2024

principal. Reply shall be filed by District Panchayat Raj Officer, Muzaffarnagar within two weeks.

20. On next date, Chief Development Officer Muzaffarnagar as well as district Panchayat Raj Officer, Muzaffarnagar both shall remain present before Tribunal."

Response-

1. For complying of direction passed by Hon'ble NGT in this matter, the respondent along with Deputy Commissioner Labour and Employment Muzaffarnagar (On behalf of Chief Development Officer), Apar Mukhya Adhikari Zila Panchayat Muzaffarnagar and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board Muzaffarnagar surveyed the area in question on dated 04.12.2024. During survey, all feasible possibilities for proper disposal of sewage, generated from nearby colony were discussed and the survey report has been prepared and annexed as **Annexure R-1**.

2. The operative part of the report (translated in English) is mentioned below :

   During the survey, it has been observed that the sewage generated from the nearby colonies which was previously going in the land of Railway, passing the balancing culvert and being collected on the agriculture land of the applicant has been

NOTARY Rakam Pal Singh NOTARY Muzaffarnagar GOVT. OF INDIA

RAKAM PAL SINGH
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

07 DEC 2024

completely stopped. Railway Department itself has constructed approx. 6 Feet high boundary wall on their land. Hence, the sewage is being collected on vacant land adjacent to the wall which comes under District Administration.

It is respectfully submitted that on getting down from the Bamanhadi bridge, on the right side road, there is a colony named Sundarnagar, which has been settled since about 1990. As a result of urbanization of Sundarnagar Basti, it is not possible to manage the liquid waste coming out of houses at domestic level due to lack of sufficient land. As railway department have constructed a 6 feet high wall, blocking the natural flow of the sewage flowing through the colonies, causing drain water logging on vacant land. The following steps can be taken for effective disposal of sewage :

To solve this problem, the water coming out of the houses of Sundarnagar Basti can be filtered through a filter chamber and then sent through the old culvert built under the bridge crossing the road of the Public Works Department and drained into the Kali River. The flow of water from Sundarnagar Basti is also in this direction.

NOTARY

RAKAM PAL SINGH
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

07 DEC 2024

The area where work needs to be done comes under the jurisdiction of PWD, NHAI and Irrigation Department (Drainage Section). Necessary steps are being taken by obtain NOC's.

The length of the drain to be constructed to solve the above problem is about 1900 meters, for the construction of which an amount of about Rs. 2.00 crore will be required. Gram Panchayat-Rampur receives an amount of Rs. 15.00 lakh per year for liquid waste management, which is much less than the project cost. Therefore, it is difficult to get the above work done by the Gram Panchayat. The Gram Panchayat is ready to extend its full cooperation in getting the above work done. Necessary action shall be taken for releasing funds by concerned departments. The proposal of the Gram Panchayat is enclosed. Apart from this, there is no water body near Sundarnagar Basti, in which the said water can be properly managed.

The concerned department needs to release funds and involve technical expert for the work proposed. After obtaining NOCs from concerned department and required funds, the work shall be completed within 06 months.

NOTARY
Rakam Pal Singh
NOTARY
Muzaffarnagar
Regd. No. 16936
Expiry 11-02-2025
GOVT. OF INDIA

RAKAM PAL SINGH
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

07 DEC 2024

3. Therefore, the above additional reply from District Panchayat Raj Officer, Muzaffarnagar is submitted before this Hon'ble Tribunal for perusal and kind consideration.

Deponent

VERIFICATION

I, the deponent named above, do hereby verify that the content of all paras of this affidavit is true to my knowledge and true on the basis of records and as per legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me GOD.

Verified at Muzaffarnagar on .07th... day of December, 2024.

Deponent

NOTARY GOVT. OF INDIA

RAKAM PAL SINGH
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

07 DEC 2024

Identified by

R-1

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के मूल आवेदन संख्या 433/2023 (IA NO 539/2024)

श्री हरपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिनांक 22 नवम्बर 2024 को निर्देशित किया गया है कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 का उल्लंघन करके जल प्रदूषण फैलाने और प्रदूषक सिद्धान्त को लागू करके पर्यावरण क्षतिपूर्ति न लगाने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी, मुजफ्फरनगर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करें कि उनके खिलाफ उचित कार्यवाही क्यों न की जायें।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि बामनहेडी पुल से उतरते ही दांयी ओर जाने वाले रास्ते पर सुन्दरनगर नाम की बस्ती स्थित है, जो लगभग सन् 1990 से बसी हुई है। सुन्दरनगर बस्ती, ग्राम पंचायत–रामपुर, विकास खण्ड–सदर के अन्तर्गत ही आती है, जिसमें वर्तमान में लगभग 200 परिवार निवास कर रहे है। वर्तमान में यह बस्ती/कालोनी षहरी एरिया (Urban) के रूप में विकसित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्मित करने से पूर्व नक्शा इत्यादि की स्वीकृति जिला पंचायत से प्राप्त करने के उपरान्त ही मकान निर्मित कराने का प्राविधान है। अतः सुन्दरनगर बस्ती ग्राम पंचायत–रामपुर, विकास खण्ड–सदर में मकान के नक्शें इत्यादि स्वीकृत करने की अथॉरिटी जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर की है।

सुन्दरनगर बस्ती के शहरीकरण हो जाने के फलस्वरूप इसके घरों से निकलने वाले पानी का तरल अपशिष्ट प्रबन्धन घरेंलू स्तर पर पर्याप्त भूमि नही होने के कारण किया जाना सम्भव नही है। समस्त पानी नालियों के माध्यम से एफ0सी0आई0 गोदाम की ओर जाने वाले नाले के माध्यम से जाता है, जिसका बहाव रेलवे लाईन की ओर है। चूंकि इस नाले के अन्तिम छोर पर रेलवे विभाग द्वारा दीवार कर दी गयी है, जिस कारण नाले के पानी के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसके निस्तारण हेतु निम्न व्यवस्था की जा सकती है।

इस समस्या के समाधान के हेतु सुन्दरनगर बस्ती के घरों से निकलने वाले पानी को फिल्टर चैम्बर द्वारा फिल्टर कर लोक निर्माण विभाग की सड़क पार करके पुल के नीचे बनी पुरानी पुलिया से भेजते हुए काली नदी में निकासी की जा सकती है, सुन्दरनगर बस्ती के पानी का बहाव भी इसी दिशा में है। चूंकि जहाँ पुलिया निर्माण होना है वहां काफी हैवी ट्रैफिक चलता है एवं यह कार्य अत्याधिक जटिल है इसलिए इस कार्य हेतु तकनीकी विशेषज्ञ की भी आवश्यकता होगी। उक्त समस्या के समाधान हेतु जिस नाले का निर्माण कराया जाना है उसकी लम्बाई लगभग 1900 मीटर है, जिसके निर्माण हेतु लगभग 02.00 करोड रू0 की धनराशि की आवश्यकता होगी।

ग्राम पंचायत–रामपुर को 15.00 लाख रू0 की धनराशि प्रतिवर्ष तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्राप्त होती है, जो प्रोजेक्ट लागत से बहुत कम है। अतः उक्त कार्य ग्राम पंचायत से कराया जाना कठिन है। ग्राम पंचायत उक्त कार्य कराये जाने हेतु अपना पूर्ण सहयोग करने को तैयार है। उपरोक्त कार्य लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) तथा सिचांई विभाग, ड्रेनेज खण्ड के अधिकार क्षेत्र में किया जायेगा, जिसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की

जा रही है। प्रस्तावित कार्य के लिए तकनीकी विशेषज्ञो को सम्मिलित करेगा, यदि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) प्राप्त करा दी जायें तथा तकनीकी विशेषज्ञो के साथ उपरोक्तानुसार किसी भी स्तर से धनराशि प्राप्त हो जाती है तो उक्त समस्या का समाधान शीघ्रता से हो सकता है। लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं किसी भी स्तर से धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त उपरोक्त कार्य को करने और उसे चालू करने के उपरान्त पूर्ण होने में कम से कम 06 माह लगेंगे।

इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संलग्न है एवं ग्रामवासियों द्वारा भी यही सलाह दी गयी है, जिसके सम्बन्ध में उपायुक्त, श्रम एवं रोजगार, जिला पंचायत राज अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अवर अभियन्ता जिला पंचायत, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, एफ0सी0आई गोदाम प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं सचिव, ग्राम पंचायत–रामपुर तथा अन्य ग्रामवासी मौके पर उपस्थित रहे। मौके पर स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि सुन्दरनगर बस्ती के घरों से निकलने वाले पानी की निकासी हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों द्वारा जो समाधान बताया गया है वही उचित है। इसके अतिरिक्त सुन्दरनगर बस्ती के पास कोई भी वाटर बॉडी नही है, जिसमें उक्त पानी का उचित प्रबन्धन किया जा सकें।

जिला पंचायत राज अधिकारी
मुजफ्फरनगर

कार्यवाही रजिस्टर

ग्राम सभा ...रामपुर...

दिनांक	उपस्थित सदस्य	प्रस्ताव सं.	कार्यवाही का विवरण	ह०/नि० अंगूठा
			आज दिनांक 05-12-2025 को	
			ग्राम पंचायत रामपुर के सचिवालय	[illegible]
	मुनेश		पर दोपहर 2:00 बजे एक बैठक	
	प्रधान		का आयोजन किया गया बैठक की	
	ग्राम पंचायत रामपुर		अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्रीमती	
	वि0ख0 सदर मुजफ्फरनगर		मुनेश जी द्वारा की गयी। बैठक	
			में ग्राम सचिव, लेखपाल, पंचायत	
	[illegible]		सहायक व ग्राम के अन्य सम्मानित	Samw
	सचिव		सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का	
	ग्राम पंचायत रामपुर		कोरम पूर्ण है आज की कार्यवाही	[illegible]
	वि0 ख0 सदर मुजफ्फरनगर		प्रारम्भ की जाती है	
	Mansi	*	गत कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया	राजू
	पंचायत सहायक		सर्व सम्मति से पुष्टि हुई।	
		*	आय-व्यय का ब्यौरा पढ़कर सुनाया	[illegible]
			गया सर्व सम्मति से पुष्टि हुई।	
		*	ग्राम पंचायत रामपुर की सुन्दर नगर	सतीश
			कालोनी में हो रही जल भराव की	
			समस्या पर विचार → आज की बैठक	
			सुन्दर नगर कालोनी में जलभराव की	[illegible]
			समस्या के समाधान पर विचार विमर्श	
			हेतु बुलायी गयी है ग्रामवासियों द्वारा	[illegible] कुमार
			बताया गया कि सुन्दर नगर बस्ती	
			लगभग सन 1990 से बसी हुई है	[illegible]
			जिसमे वर्तमान मे लगभग 200 परिवार	जगपाल
			निवास कर रहे है जिनके घरों का पानी	
	[illegible]		FCI गोदाम के पास से होते हुए पूर्व	सतीश
			में रेलवे द्वारा निर्मित बॉक्स कल्वर्ट	
	वेदपाल		से होता हुआ आगे की ओर प्राकृतिक	[illegible]
			रूप से बने कच्चे नाले में गिर रहा था	
			वर्तमान में रेलवे लाइन द्वारा दीवार निर्माण	

कार्यवाही रजिस्टर

ग्राम सभा ......रामपुर......

दिनांक	उपस्थित सदस्य	प्रस्ताव सं.	कार्यवाही का विवरण	ह०/नि० अंगूठा
			करके पानी को रोक दिया गया है जिससे	ओमवीर
			वर्तमान मे सुन्दरनगर के घरों से	
			निकलने वाला पानी एक जगह एकत्रित	
			हो रहा है चूंकि पानी की निकासी का	विनोद कुमार
			कोई अन्य स्थान नही है इस कारण	
			सुन्दरनगर के निवासियों को जल	
			भराव की समस्या का सामना करना	भवरसिंह
			पड़ रहा है	
			उक्त के क्रम मे इस समस्या के	
			समाधान हेतु कुछ व्यवस्था बनायी	विकी
			गयी जो इस प्रकार है सुन्दरनगर	
			के घरों से निकलने वाले पानी को	जयकुमार
			फिल्टर चैम्बर बनाकर पानी को फिल्टर	
			करके लोक निर्माण विभाग की सड़क पार	
			करके पुल के नीचे बनी पुरानी पुलिया	कमल
			से भेजते हुए काली नदी मे निकासी	
			की जा सकती है सुन्दरनगर के पानी	कृष्णकुमार
			का बहाव भी इसी दिशा मे है	
			इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग	
			सिंचाई विभाग, ड्रेनेज खण्ड एवं राष्ट्रीय	[signature]
			राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनापत्ति	
			प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता होगी	रामपाल
			चूंकि जहां पुलिया निर्माण होना है वहां	
			काफी हैवी ट्राफिक चलता है व यह	
			कार्य अत्याधिक जटिल है इसलिए इस	Neeraj Kumar
			कार्य हेतु तकनीकि विशेषज्ञ की भी	
	[signature]		आवश्यकता होगी।	
			उक्त समस्या के समाधान हेतु	
			जिस नाले का निर्माण होना है उसकी	[signature]
			लम्बाई लगभग 1900 मी० है जिसके	

नोट:- कार्यवाही के अन्त में प्रधान और सेक्रेटरी अपने हस्ताक्षर करेंगे।

कार्यवाही रजिस्टर

ग्राम सभा ......रामपुर......................

दिनांक	उपस्थित सदस्य	प्रस्ताव सं.	कार्यवाही का विवरण	ह०/नि० अंगूठा
			निर्माण हेतु लगभग 02.00 करोड़	
			की धनराशि की आवश्यकता होगी।	
			ग्राम पंचायत रामपुर को 1500000.00/वर्ष	
			रुपये की धनराशि प्राप्त होती है।	
			जो तरल अपशिष्ट प्रबन्ध हेतु है	नवनीत
			जो प्रोजेक्ट लागत से बहुत कम	
			है अतः उक्त कार्य ग्राम पंचायत	श्यामकिशोर
			से कराया जाना कठिन है ग्राम	
			पंचायत उक्त कार्य कराये जाने हेतु	
			अपना पूर्ण सहयोग करने को तैयार	संजीव
			है यदि उपरोक्तानुसार NOC प्राप्त	
			करा दी जाये तथा तकनीकी विशेषज्ञों	नीटू
			के साथ उपरोक्तानुसार किसी भी	
			स्तर से धनराशि प्राप्त हो जाती	Sanjay
			है तो उक्त समस्या का समाधान	
			शीघ्रता से हो सकता है	
			आज की कार्यवाही सभी के	अर्जुन
			धन्यवाद सहित बन्द की जाती है।	मालू
			[signature] सचिव रामपुर	Sanjay

[signature]
सचिव
ग्राम पंचायत रामपुर
वि० ख० सदर, मुजफ्फरनगर

मुनेश
प्रधान
ग्राम पंचायत–रामपुर
वि०ख० सदर, मुजफ्फरनगर

[signature]

मानचित्र

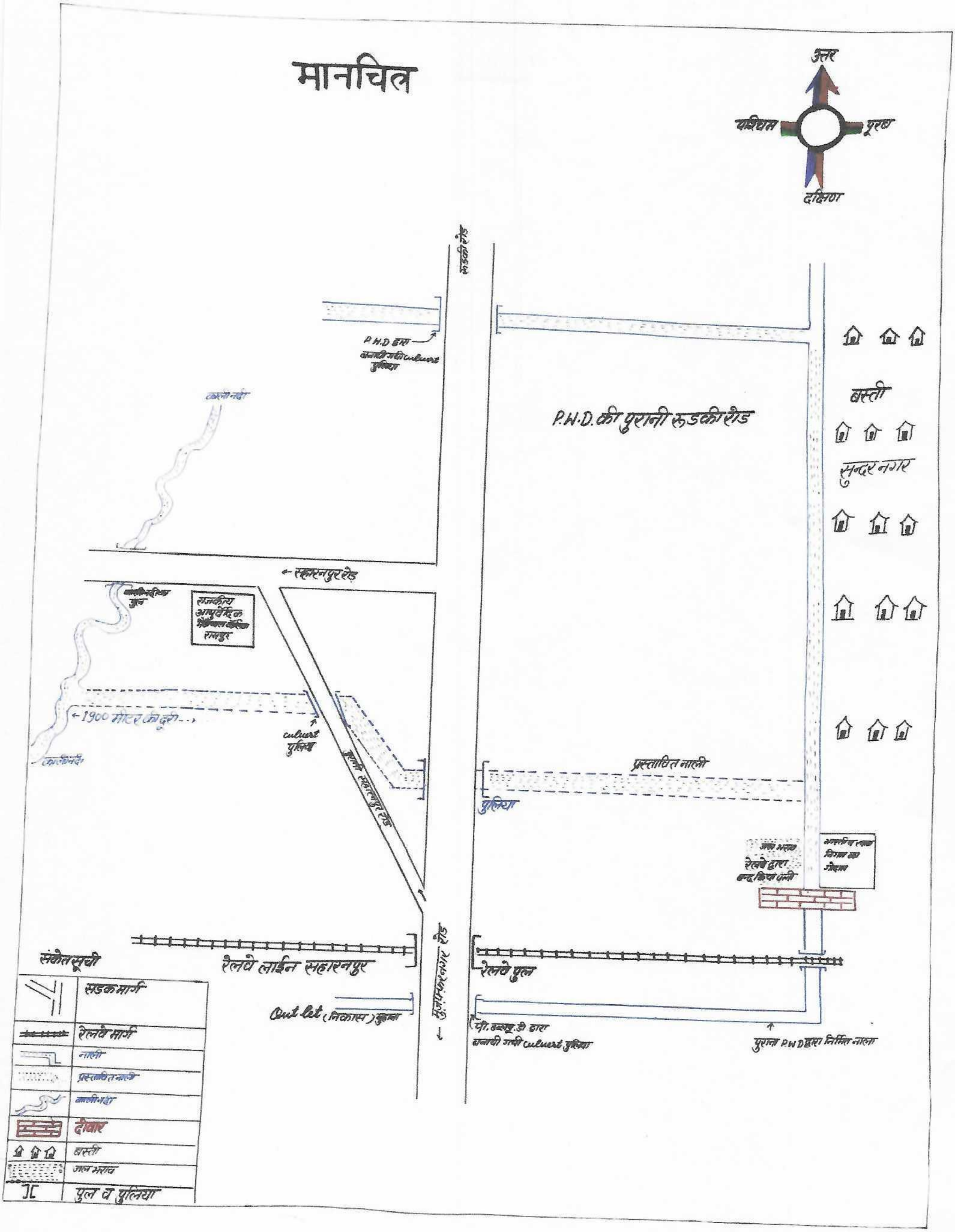
उत्तर
पश्चिम
पूरब
दक्षिण
रुड़की रोड
P.W.D द्वारा
P.W.D. की पुरानी रुड़की रोड
बस्ती
सुन्दर नगर
← सहारनपुर रोड
राजकीय
आयुर्वेदिक
रामपुर
← 1900 मीटर की दूरी →
culvert
पुलिया
काली नदी
पुरानी सहारनपुर रोड
प्रस्तावित नाली
पुलिया
जल भराव
रेलवे द्वारा
बन्द किया गली
रेलवे लाईन सहारनपुर
← मुजफ्फरनगर रोड
रेलवे पुल
Out let (निकास) नाला
पी. डब्लू. डी द्वारा
बनायी गयी culvert पुलिया
पुराना P.W.D द्वारा निर्मित नाला
संकेत सूची
सड़क मार्ग
रेलवे मार्ग
नाली
प्रस्तावित नाली
काली नदी
दीवार
बस्ती
जल भराव
पुल व पुलिया

सुन्दरनगर बस्ती, ग्राम पंचायत–रामपुर, विकास खण्ड–सदर में स्थलीय सत्यापन करते हुए अधिकारीगण

ग्राम पंचायत–रामपुर, विकास खण्ड–सदर में ग्राम पंचायत की बैठक में सुन्दरनगर बस्ती की जल निकासी सम्बन्धी समस्या पर विचार